

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत दिनांक-24.02.2015 को नक्सली हिंसा में मारे गए मृतक स्व0 महेश्वर भगत, पिता-स्व0 कोदई भगत, ग्राम+पो0-मोहब्बतपुर, थाना-देवरिया, जिला-मुजफ्फरपुर के आश्रिता पत्नी मसो0 रीना देवी को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1572/गो0 दिनांक-12.03.2016 के आलोक में आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविल पीड़ितों के सहायता हेतु केन्द्रीय योजना मद से मुआवजा की राशि ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को कुल आवंटित राशि।
₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र	₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र	₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि ₹3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0414-आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता, विषय शीर्ष-33 02-मुआवजा (विपत्र कोड-S2235602000414) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कृपया यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को समुचित पहचान कर निम्नांकित शर्तानुसार की जाए :-

(i) इस योजना के तहत प्रभावित की मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के मामले में 3 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

कृ0पू0उ0

(ii) 3 लाख रुपये की धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में [परिवार के सदस्य (सदस्यों) के नाम में संयुक्त अथवा एकल रूप से] डाला जाएगा। इसकी परिबंधन (लॉक-इन) अवधि न्यूनतम 3 वर्ष तक अथवा यदि परिवार में केवल वयस्क बच्चे हों तो सबसे बड़े बच्चे के वयस्क हो जाने तक, जो भी बाद में हो, होगी।

(iii) राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते की सूचना/प्राप्ति रसीद विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायगी।

5. यह आवंटनादेश भारत सरकार के पत्र संख्या-11044/11/2011-VTV, दिनांक-29.06.2012 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की होगी।

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा मात्र उक्त पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रिता को अनुग्रह-अनुदान/मुआवजा के रूप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गई राशि की व्यय-विवरणी/ उपयोगिता प्रमाण पत्र, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:—भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक-ए/के०स०यो०-(61)-14/2016...../

प्रतिलिपि:—भुगतान एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-ए/के०स०यो०-(61)-14/2016...../

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

me

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक-ए/के0स0यो0-(61)-14/2016

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/के0स0यो0-(61)-14/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/के0स0यो0-(61)-14/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए' गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/के0स0यो0-(61)-14/2016...../

पटना, दिनांक-⁰⁵⁻⁸.....2016

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Intendra
05.08.16
सरकार के विशेष सचिव

05/8